

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

कैम्प - अटल सेवा केन्द्र, फूलियाकलां

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 223/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

श्री कालू पिता छोगा चमार निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राधाकिशन पिता हरजी गुर्जर निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
2. श्री चन्दा पिता रामा बैरवा निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
3. श्री रामकरण पिता छोटू गुर्जर निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
4. श्री देवकरण पिता छोटू गुर्जर निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
5. श्री रामकिशन पिता नानू गुर्जर निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
6. श्री रामकुंवार पिता नानू गुर्जर निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
7. श्री शैतान पिता नानू गुर्जर निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
8. श्री सोजी पिता नानू गुर्जर निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
9. श्री मेवा पिता हजारी गुर्जर निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
10. श्री पांवु पिता हजारी गुर्जर निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
11. श्री माधु पिता हजारी गुर्जर निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
12. श्री घीसा पिता ताराचन्द खटीक निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
13. श्री छोटू पिता श्यामलाल भांडी निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 06.06.2016

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं : प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 11 के आराजी नम्बर 307 रकबा 0.04 है०, आराजी नम्बर 308 रकबा 0.69 है०, आराजी नम्बर 309 रकबा 0.43 है० आराजी नम्बर 311 रकबा 0.33 है०, आराजी नम्बर 312 रकबा 0.32 है०, आराजी नम्बर 992/276 रकबा 0.51 है० आराजी कुल किता 06 रकबा 2.32



हैक्टर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। बादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमावन्दी ग्राम गणपतिया खेड़ा संवत् 2070 से 2073 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गणपतिया खेड़ा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात कित्ता 06 रकबा 2.32 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 450/- रुपये (अक्षरे चार सौ/पचास रुपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थी से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.06.2016 को केम्प अटल सेवा केन्द्र फूलियाकलां पर सुनाया गया।



[Handwritten Signature]
6/6/16

(एम०पी० नायक)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, पिला-गीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

[Handwritten Signature]
6/6/16
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, पिला-गीलवाड़ा
फूलियाकलां